राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/897 दिनांकः 28.05.2020

आदेश संख्याः 58 /2020–21

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम, 1963 के नियम 29(2)के अन्तर्गत वर्ष 2019–20 की रिक्तियों पर विचार हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 14.11.2019 की अभिशंषा के आधार पर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, जिनका चयन उक्त नियमों के अन्तर्गत सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के रिक्त पदों पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर (संतान सम्बन्धी सूचना प्राप्ति की शर्त पर) किया गया था, के द्वारा संतान संबंधी सूचना प्रस्तुत कर दिये जाने के परिणामस्वरूप इनको पदोन्नति पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I पद के पे मेट्रिक्स लेवल L-12 में स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया जाता है :–

क.सं.	लिंक नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम	प्रवर्ग	जन्मतिथि	पद रिक्ति की दिनांक
1	6183	DGS/88	यतेन्द्र पाल सिंह	-	13.09.64	01.04.19
2	5229	16/90	विष्णु दत्त शर्मा	-	22.10.66	01.04.19

उपरोक्त सभी सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II उक्तानुसार पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता सहायक लेखाधिकारी–ग्रेड I में क्रमोन्नत/क्रमावनत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेगें। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

पदोन्नत अधिकारियों की पारस्परिक वरिष्ठता (inter-se seniority) यथावत रहेगी। उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(10) वित्त/राजस्व/ 2018 जयपुर, दिनांक 16.12.2019 से प्राप्त स्वीकृति के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2(ग)(1) अलेसे– I/897 दिनांकः 28.05.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...
4. श्री .... सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–।।, कार्यालय .... को निर्देशित किया जाता है कि वे स.ले.अ. ग्रेड–I पद पर कार्यग्रहण कर सूचना अविलम्ब इस विभाग को भिजवायें।
5. उप निदेशक (एसीपी) को वेबसाइट पर अपलोड एवं पीआईएस में इन्द्राज हेतु।
6. ~~अतिरिक्त~~ निजी सचिव निदेशक।
7. अलेसे–II/डीपीसी शाखा/ए.सी.आर. शाखा/जांच शाखा/गार्ड फाईल निजी पत्रावली।

(भवानी सिंह मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– I)